2.1

प्रपत्र–1

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में देवलधार–माईथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रतिवेदन

शासनादेश संख्या 824/ 111(2)/ 08–43(एम.एल.ए.)/ 07 दिनांक 24.03.2008 द्वारा जनपद बागेश्वर में देवलधार–मैथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग लम्बाई 12.00 कि0मी0 के निर्माण हेतु रू0 441.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जनपद बागेश्वर एवं अल्मोड़ा का यह सीमान्त क्षेत्र अभी भी विकास की मुख्य धारा से बहुत दूर है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ग्राम भिताड़ी जनसंख्या (76) देवलधार (168) लेटी (322) एवं चौहाना (195) कुल जनसंख्या 764 के ग्रामीणों की दैनिक आवाजाही निजी एवं सरकारी कार्यों हेतु सोमेश्वर एवं अल्मोड़ा आदि स्थानों के लिए होती है परन्तु सीधे यातायात के अभाव के कारण इन ग्रामों की जनता को लगभग 15–20 कि0मी0 पैदल अथवा लगभग 80 कि0मी0 से अधिक दूरी तय कर के वाहनों को बदल कर बागेश्वर होते हुए आना जाना पड़ता है जिसमें अत्यधिक समय एवं धन व्यय होता हैं। जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सोमेश्वर से गिरेछीना तक लगभग 16 कि0मी0 मोटर मार्ग निर्मित है। बागेश्वर की ओर से पूर्व में शासन द्वारा 2 कि0मी0 मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें भारत सरकार के पत्रांक 8बी/ 443/ 88/ ए0सी0 दिनांक 07.09.1990 द्वारा 1.3586 है0 वन भूमि की विधिवत् स्वीकृति एवं उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1100/ 14–3–605/ 88 दिनांक 18.12.1990 द्वारा भूमि हस्तान्तरण आदेश उपरान्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण है। स्वीकृत मोटर मार्ग का निर्माण कार्य इस पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के कि0मी0 2 के अंत से प्रस्तावित किया गया है और अमसरकोट–गिरेछीना मोटर मार्ग के चौहाना नामक स्थान तक इस मार्ग की कुल लम्बाई 10.650 कि0मी0 आती है। उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 70 प्रतिशत भू–भाग वनाछादित है एवं उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कास्तकारो की निजी नाप भूमि के अलावा लगभग सभी प्रकार की भूमि को वन अधिनियम के दायरे में लिया गया है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। मोटर मार्ग निर्माण हेतु 9 मीटर चौड़ाई में भूमि अधिगृहण प्रस्तावित किया गया है। प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना 7 मीटर चौड़ाई के अन्दर वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों के अनुसार की गयी है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न गुगल मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है। साथ ही निर्देशानुसार डिजिटल एवं 1:50000 पैमाने का इन्डैक्स मानचित्र भी संलग्न हैं।

संरेखण संख्या 1 जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण देवलधार नामक स्थान से प्रस्तावित किया गया है जो लेटी होते हुए अमसरकोट–धारी डोबा–गिरेछीना मोटर मार्ग के चौहाना नामक स्थान पर मिल जाता है। इसके अनुसार मार्ग में नाप भूमि के अतिरिक्त सिविल सोयम, वन पंचायत एवं आरक्षित वन भूमि आती है जिसमें वृक्ष कम प्रभावित होते है। अधिक आवादी लाभान्वित होती है। मानकों के अनुसार ग्रेड मिलता है एवं ग्रामवासी भी सहमत है।

संरेखण नं0 2 जो हरे रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का संरेखण प्रथम संरेखण के अनुसार ही देवलधार नामक स्थान से प्रस्तावित किया गया है और आगे जा कर गिरेछीना तक अधिकांश लम्बाई में आरक्षित वन भूमि से होकर जाता है। इस संरेखण में अधिक आरक्षित वन भूमि एवं वृक्ष प्रभावित होते है। मार्ग का संरेखण गांव के बाहर से जाता है जिससे किसी को भी लाभ नहीं होता है। मानकों के अनुसार ग्रेड नहीं मिलता हैं। मोटर मार्ग की लम्बाई एवं हेयरपिन बैन्ड अधिक आते हैं। ग्रामवासियों की असहमति के कारण इस संरेखण को निरस्त किया गया है।

इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं संरेखण नं. 1 को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। अतः 10.650 कि.मी. लम्बाई में प्रभावित होने वाली 6.9975 हैक्टेयर वन भूमि गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन कर लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने एवं विभिन्न प्रजाति के कुल 295 वृक्षों के पातन की स्वीकृति हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित् किया जा रहा है। भविष्य में इस मोटर मार्ग निर्माण हेतु और वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0 बागेश्वर